

राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, जयपुर
(ईमेल : registrarrsvc88@gmail.com)

निर्वाचन सूचना

दिनांक 10.08.2026 को राजस्थान राज पत्र विशेषांक में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06.07.2026 संख्या F.4 (46)RSVC/Election/2021-22:- द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 32 (1) (क) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, हेतु चार सदस्यों का निर्वाचन राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत पशुचिकित्सकों द्वारा किया जाना है। मतदाता सूची राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर-302015 (राज.), राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद की वेबसाईट <http://rajvetcouncil.in/> पर Election RSVC एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान की वेबसाईट <http://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/> पर Important Circulars/Orders में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। पशुपालन, अन्य सरकारी विभाग एवं गैर सरकारी संस्थानों यथा डेयरी, बीमा आदि में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त जिन पंजीकृत पशु चिकित्सकों ने :-

- अपना पंजीयन नवीनीकरण नहीं करवाया है अथवा जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर से हटा दिये गये हैं, संलग्न प्रपत्र - I के साथ पंजीयन नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परिषद में आवेदन प्रस्तुत करें।
- मतदाता सूची में कतिपय पशु चिकित्सक से संबंधित सूचना पर आपत्ति है, संलग्न प्रपत्र - II के साथ परिषद में आवेदन प्रस्तुत करें।
- अपने मोबाईल नम्बर/जन्म तिथि में परिवर्तन की आवश्यकता है, संलग्न प्रपत्र-III के साथ परिषद में आवेदन प्रस्तुत करें।

ऐसे पशुचिकित्सक दिनांक 12.11.2026 को सायं 5.00 बजे तक अपना प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकेंगे।

दिनांक 12.11.2026 को सायं 5.00 बजे बाद प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा एवं पंजीयन नवीनीकरण के अभाव में पशुचिकित्सक मतदान हेतु पात्र नहीं होगा।

(डॉ. तपेश माथुर)
रजिस्ट्रार

